

नाम : ह्युमन वॅलफेअर चॅरिटेबल त्रस्ट पता : 401 मेघदूत को-ओप. हाउझींग लिमिटेड., एवरशाईन नागर,लीनीकंग

रोड मलेड(डबलयू), मुंबई महाराष्ट्र 400064 इंडिया

फ़ोन: 91-9820737841

Click here for English version

स्थायी खाता संख्या : AABTH6166P | निर्धारण वर्ष : 2022-23 l पावती सं. : 503010660170922 । पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2223/A7/325181790

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आपकी विवरणी को संसाधित किया गया है। कोई भुगतान देय नहीं है।

ITR फॉर्म का प्रकार फाइलिंग की दिनांक आदेश की दिनांक नियत दिनांक ITR7 मूल 17/09/2022 15/02/2023 31/10/2022

विस्तारित नियत दिनांक आवासीय स्थिति स्थिति उप स्थिति 07/11/2022 AOP/BOI **Public Charitable Trust** Resident

0%

आयकर विवरणी का विवरण

पंजीकरण/अनुमोदन विवरण धारा २(15) के अनुसार सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य [12AA/12AB/10(23c) (iv/v/vi/via) पर लागू] (%)

12A/12AA/12AB,80G(2)(b)

कुल वार्षिक पावती फॉर्म

FORM10B



नाम : ह्युमन वॅलफेअर चॅरिटेबल त्रस्ट

स्थायी खाता संख्या : AABTH6166P । निर्धारण वर्ष : 2022-23 । पावती सं. : 503010660170922 । पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2223/A7/325181790

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में करदाता द्वारा प्रदान	i) धारा 143(1) की
			किया गया	गणना के अनुसार
01	छूट	[धारा जिसके तहत छूट का दावा किया गया है]	11	11
02	आय का विवरण	कुल आय	1,96,217	1,96,217
03	कर का विवरण	राहत के बाद कर दायित्व	0	0
04	ब्याज और देय शुल्क	कुल ब्याज और शुल्क (234A, 234B, 234C और 234F)	0	0
05	पूर्व संदत्त कर	कुल भुगतान किया गया कर (अग्रिम कर, टी डी एस ,टी सी एस , स्व निर्धारि	रेत कर) 0	0
06	शेष		0	0
07	कुल देय राशि / देय प्रति	नदाय	0	0
08	अभिवर्धित आय	धारा 115TD के तहत अभिवर्धित आय	0	0
09	अतिरिक्त आयकर भुगता करने के बाद धारा 115TE और 115TE के तहत देय	न) धारा 115TD और 115TE के तहत अभिवर्धित आय पर कुल देय कर कर	0	0

एन साईराज, आई आर एस उप आयकर निदेशक, सी पी सी , बेंगलुरु



नाम : ह्युमन वॅलफेअर चॅरिटेबल त्रस्ट

स्थायी खाता संख्या : AABTH6166P | निर्धारण वर्ष : 2022-23 | पावती सं. : 503010660170922 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2223/A7/325181790

क्र स	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ करदाता द्वारा प्रदान किया गया	में) धारा 143(1) की गणना के अनुसार
यदि धारा	12A/12AA/12AB के तहत पंर्ज	कित है या धारा 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via) के तहत अनुम	गोदित है, जैसा कि क्र सं. 1 से	7 में दर्ज किया गया
01		कॉंपस [अनुसूची VC का Sr.no. Alie+Bli-D3] के अलावा अन्य स्वैच्छकि योगदान	9,99,057	9,99,057
02		कस्वैच्छिक योगदान जो कि कॉॅंपस अनुसूची भाग B-TI का (A + B) का हिस्सा है	0	0
		(a) धारा 80G(2)(b) अनुसूची VC का Aia +Bia के तहत अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान का प्रतिनिधित्व करने वाला कॉंपस	0	0
		(b) उपरोक्त के अलावा काँपस [अनुसूची (VC का (Aib+Bib]	0	0
03		कॉंपस दान की राशि, जो छूट के लिए पात्र नहीं है	0	0
04		11(5) मोड में निवेश किए गए कॉंपस दान की राशि और भाग B-TI की छूट (2-3) के लिए पात्र राशि	0	0
05		उपर्युक्त 1 और 2 (अनुसूची AI का 10) में सम्मिलित स्वैच्छिक योगदान के अलावा, पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त धारा 11,12 और धारा 10(23C) (iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi) और 10(23C)(via) में संदर्भित आय का योग	172	172
06	धारा 11/10(23C)(iv)/ 10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/ 10(23C)(via) के तहत छूट	धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों या न्यास/ संस्था के वर्णित उद्देश्यों के लिए उपयोग	करी गयी आय	
		पिछले वर्ष के दौरान उपयोग करी गयी राशि– राजस्व खाता [आव ेदन को छोड़कर उधार ली गई निधि, मानद आवेदन, पिछले (i) वर्ष 15% तक जमा, अर्थात पिछले वर्ष की आय से नहीं][अनुसूची ER से क्र.सं. I]	6,53,128	6,53,128
		पिछले वर्ष के दौरान आवेदन की गई राशि– पूंजी खाता [आवेदन को छोड़कर उधार ली गई निधि, मानद आवेदन, पिछले वर्ष 15% (ii) तक जमा, अर्थात पिछले वर्ष की आय से नहीं] [अनुसूची EC का क.सं. E]	0	0
		पिछले वर्ष के दौरान ऋग का पुनर्भुगतान (अनुसूची J की तालिका (iii) A2 का Sr.no. 4)	0	0
		पूर्व वर्ष के दौरान प्रयोज्य की गई राशि- काँपस फ़ंड के निर्दिष्ट मोड में निवेश या वापस जमा की गई राशि (ट्रस्ट/संस्थान के उद्देश्य के लिए फ़ंड के आवेदन पर पहले अस्वीकृत), धारा 11(5) (iiia)में निर्दिष्ट एक या अधिक मोड में, विशेष रूप से इस तरह के काँपस के लिए, उस वर्ष की आय से और इस तरह के निवेश या जमा की सीमा तक (अनुसूची J की तालिका A1 का Sr.no. 4)	0	0
		धारा 11(1) की व्याख्या के खंड (2) के अनुसार पिछले वर्ष के ^(iv) बौरान लागू मानी गई राशि	0	0
		यदि (iv) उपर्युक्त लागू है, तो क्या प्रास्त्रम सं 9A में विकल्प को (a) निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है		
		यदि हाँ, तो प्रारूप सं 9A प्रस्तुत करने की तारीख (b) (दिन/मॉस/वर्ष)		
		धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों या ट्रस्ट / संस्था के घोषित उद्देश्यों के लिए आवेदन हेतु संवित या अलग की गई राशि, धारा 11(1)(a) /11(1)(b) के तहत या धारा 10(23C) के तीसरे परंतुक के संदर्भ में (v) ट्रस्ट/संस्था में धारित संपत्ति से प्राप्त आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है (उपरोक्त (1 + 5) के अधिकतम 15% तक प्रतिबंधित)	1,49,884	1,49,884



नाम ः ह्युमन वॅलफेअर चॅरिटेबल त्रस्ट

स्थायी खाता संख्या : AABTH6166P | निर्धारण वर्ष : 2022-23 | पावती सं. : 503010660170922 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2223/A7/325181790

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (करदाता द्वारा प्रदान	धारा 143(1) की
			किया गया	गणना के अनुसार
		यदि धारा 11(2) और 11(5) या धारा 10(23C) के तीसरे प्रावधान की सभी शर्ते पूरी की जाती हैं तो उपरोक्त (iv) में निर्दिष्ट राशि के ^(vi) अतिरिक्त, संचित या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए नियत की गई राशि	0	C
		(vii) धारा 11(1)(c) के तहत छूट के लिए पात्र राशि	0	C
		(a) बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृति संख्या		
		(b) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि		
		(viii)কুল [6i+6ii+6iii+6iiia+6iiv+6v+6vi+6vii]	8,03,012	8,03,012
)7	परिवर्धन	(i) धारा 11 (1B) के तहत प्रभार्य आय	0	
	गरवजा	(ii) धारा 11(3) के तहत प्रभार्य आय	0	
		(iii) धारा 11 के तहत आय के संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है	<u> </u>	
		(a) अज्ञात दान के मामले में (अनुसूची VC का Diii)	0	
		(a) अशार वान के मानहां में (अनुसूची एठ के छा।) (b) धारा 13(1)(c) या 13(1)(d) के तहत अस्वीकृत (अनुसूची J के भाग E र		
		(iv) धारा 12(2) के तहत प्रभार्य आय	0	
			•	
		धारा 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s 40(a)(ia) के तहत (V) अस्वीकृत राशि	0	ı
		धारा 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s 40A(3)/(3A) के तहत (vi) अस्वीकृत राशि	0	
		(viia)धारा 80G(2)(b) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3A के खंड 11(1) ए) या (बी) या (सी) या (डी) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3बी के अनुसार आय	0	
		(viib)खंड (ए) या (बी) या के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1 बी के अनुसार आय (सी) या (डी) धारा 10 (23C) के लिए स्पष्टीकरण 1 ए की धारा80G(2)(b) के साथ पढ़ें	0	
		(viii)कुल [i+ii+iiia+iiib+iv+v+vi+viia+viib]	0	
)8		धारा 11(4) के तहत प्रभार्य आय	0	
)9		धारा 11/10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) [(1+5-6viii)+3+7viii+8] के तहत छूट के बाद सकल आय	1,96,217	1,96,21
0	आय के शीर्ष	आय जो क्र सं. 9 का भाग नहीं हैं		
		(i) गृह संपत्ति से आय (अनुसूची HP का बिंदु सं. 4)	0	
		व्यापार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ [अनुसूची BP के (ii) बिंदु सं. D34 के अनुसार]	0	
		(iii) पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	0	
		(iii) पूजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय (iv) अन्य स्रोतों से आय	0	
		(iv) জন্ম রাধা ব জাব (v) কুল (10i + 10ii + 10iic + 10iv)	0	
1		कूल सकल आय (9+10)	1,96,217	1,96,21
2		चालु वर्ष के घाटे को 10v के विरुद्ध समायोजित किया जाना है	0	1,70,21
13	विशेष आय	कूल आय (11-12)	1,96,217	1,96,21
14	THE SHA	आय जो 13 में शामिल है और विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है (अनुसूची एसआई के स्तंभ (i) का कुल)	0	,,,,,,
		कुल आय (13-14) [तभी लागू यदि (13-14) उस अधिकतम राशि जो कर		



नाम ः ह्युमन वॅलफेअर चॅरिटेबल त्रस्ट

स्थायी खाता संख्या : AABTH6166P । निर्धारण वर्ष : 2022-23 । पावती सं. : 503010660170922 । पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2223/A7/325181790

	क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ २ करदाता द्वारा प्रदान किया गया	नें) धारा 143(1) की गणना के अनुसार
साग B2 - परि बारा 13A13B और धारा 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23B), 10(23E), 10(23E), 10(26E), 10(26E) 10(23A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiia	16			0	0
10(29A), 10(23C)(limb), 10(23C)(limb), 10(23C)(limb), 10(23C)(limb), 10(23E) 10(24A) 10(23ED) 10(23C) 10(23ED) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17		अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय	0	0
10(23EE) 10(23E) 10(23E) 10(23C)(iiao) 10(23C)(iiao) 10(23D) 10(23D) 10(23D) 10(23C)(iiao) 10(23C)(iiao) 10(23C)(iiao) 10(23D) 10(23C)(iiao) 10(23C)(iiao) 10(23C)(iiao) 10(23D) 10(23C)(iiao) 10(23C)(iiao) 10(23D) 10(23C)(iiao) 10(23D) 10(23D) 10(23C)(iiao) 10(23D) 10(23D) 10(23D) 10(23C)(iiao) 10(23D) 10(23D				छूट का दावा करते हैं (23EE),	
10(23DA)/ 10(23FB)/ 10(24)/ 10(40) है तहत छूट की सांशि 103 धारा 10 के किसी अन्य खंड के तहत छूट के लिए पात्र सांशि (1 और 2 के अलावा) 104 धारा 11(3) के साथ परित पाता 10(21) के तहत पुर के लिए पात्र सांशि (1 और 2 के अलावा) 105 धारा 11(3) के साथ परित पाता 10(21) के तहत पुर के लग्न में वावा की गई आया 106 खारा विले ब्लाम 13 का योग] 107 खार के तीवन एक के मामले में धारा 13A के तहत छूट के लग्न में वावा की गई आया 107 बार के तीवन पास स्वेच्छकि योगदान 10 0 0 108 आया के सीर्थ (0) गुर संपत्ति काम 10 0 0 10 (10) पुर संपत्ति से आया 10 0 0 11 पाल्य पुर के प्रस्त समायोजित की जाने वाला चाल वर्ष की हानियाँ 10 0 0 11 पाल्य पुर के प्रस्त समायोजित की जाने वाली चाल वर्ष की हानियाँ 10 0 0 11 पाल्य पुर के प्रस्त हम्में आया 11 पाल्य पुर के प्रस्त हम्में आया 12 पाल्य पुर के प्रस्त हम्में आया 13 पाल्य पुर के प्रस्त हम्में आया 14 चाल ज्ञाय (17-12-13) [यार्थ (11-12) अधिकतम सांगि सं अधिक है जो वार्य से के लग्न प्राप्त पर प्रमार्थ आया (अनुसूची (8) के स्तम (0) का योग) 15 बुल आया (11-12-13) [यार्थ (11-12) अधिकतम सांगि सं अधिक है जो वार्य से के लग्न प्रमार्थ आया (अनुसूची (8) के लग्न प्रमार्थ आया (अनुस्सूची (8) के लग्न प्रमार्थ आया (अनुसूची (8) के लग्न प्रमार्थ आया (अनुस्सूची (8) के लग्न प्रमार्थ आया (अनुस्सूची (8) के लग्न प्रमार्थ आया (अनुस्सूची (8) के लग्न प्रमार्थ आया (8) जुन अप (8) के लग्न	01	छूट		0	0
2 के अलावा) 2 के अलावा) 2 के आवा 11(3) के साथ परित धारा 10(21) के तहत प्रमार्थ आय 1 3 विस्तुस्ती । के कॉलम 13 का योग] 2 कि विस्तुस्ती । के कॉलम 13 का योग] 3 विस्तुस्ती । के कॉलम 13 का योग] 4 विस्तुस्ती । के कॉलम 13 का योग] 5 विस्तुस्ती । के कॉलम 13 का योग] 5 विस्तुस्ती । के कॉलम 13 का योग] 6 विस्तुस्ती । के कॉलम 23 का योग 6 विस्तुस्ती । के कॉलम 33 का योग 6 विस्तुस्ती । के कॉलम 33 का योग 7 वर्ष के तहत छूट के रूप में वाला की गई आय 8 को तहत छूट के रूप में वाला की गई आय 9 विस्तुस्ति 8 आय के शीर्ष (ा) गृह शंपित ले आय (ा) करवार या व्यवसाय के लाम और असिलाम (ा) अन्य बोतों से आय (ा) करवार या व्यवसाय के लाम और असिलाम (ा) अन्य बोतों से आय (ा) करवार या व्यवसाय के लाम और असिलाम (ा) अन्य बोतों से आय (ा) कुल (81 818 1 8811 8811) 10 विस्तुस्ति सामोजित की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (ा) पकल कुल आय (17-18-5-5) 44 10 विस्तुस्ति सामोजित की विशेष वरों पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्ति पा) विशेष वरों पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्ति पा) विशेष वरों पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्ति पा) विशेष वरों पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्ति पा) विशेष वरों पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्ति पा) विशेष वरों पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्त का विशेष वरों पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्त का विशेष वर्ष पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्त का विशेष वर्ष पर प्रमार्थ आय (अनुसूषी (डा के स्ताप्त का विशेष वर्ष पर प्रमार्थ आय (उनुसूषी (रा) का (डाक्स के सहत (अक्ष की वर से कर लागाया जाएगा (अनुसूषी (ए० का (जा)) 14 में शामिल गुत वानों पर प्रमारित आय 14 संसाध्य और शिक्षा उपकर Pan (B-TII पर @ 4% की वर से स्ताप्त पर माग B2 15 विस्तुस्त आय पर देव कर 16 (विस्तुस्त का प्रमार का वर्ष पर प्रमारित आय 17 विस्तुस्त का वर्ष पर प्रमारित आय 18 विस्तुस्त का विस्तुस्त वर्ष पर कर, भाग B2 18 विस्तुस्त वर्ष पर विस्ता उपकर Pan (B-TII पर @ 4% की वर से स्ताप्त वर पर भाग B2	02			0	0
अपुर्ता कि कॉलम 13 का योग	03				
की गई आय। 0 वृंताबी ट्रस्ट (अनुसूची हा की मद संख्या 6%)) के मामले में बारा 13	04		धारा 11(3) के साथ पठित धारा 10(21) के तहत प्रभार्य आय। [अनुसूची। के कॉलम 13 का योग]	0	0
8 के तहत छूट के रूम में दावा की गई आय 20 24 वर्ष के दौरान प्राप्त स्वैच्छिक योगदान 20 20 21 22 23 24 24 24 25 24 24 25 25 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	05			0	0
श्री श के शीर्ष (i) गृह संपत्ति से आय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	06		चुनावी ट्रस्ट (अनुसूची ET की मद संख्या 6vii) के मामले में धारा 13 B के तहत छूट के रूप में दावा की गई आय	0	0
(ii) कारोबार या व्यवसाय के लाम और अमिलाम (iii) पूँजीगत लाम (iv) अन्य शोतों से आय (v) कुल (8i + 8ii + 8iii + 8iv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	07		वर्ष के दौरान प्राप्त स्वैच्छकि योगदान	0	0
(iii) पूँजीगत लाभ 0 0 (iv) अन्य स्रोतों से आय 0 0 (v) कुल (8i+8ii+8iii+8iiv) 0 0 09 सकल आय ((7+8v-5-6)+4 0 0 10 (8 के विरुद्ध समायोजित की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ 0 0 11 सकल कुल आय ((9-10) 0 0 12 (11 में शामिल और विशेष दरों पर प्रमार्य आय (अनुसूची (डा के स्तंम (()) का योग) 0 0 13 दर उद्देश्य के लिए शुद्ध कृषि आय 0 0 14 कुल आय ((11-12+13) [यदि ((11-12) अधिकतम राशि से अधिक हैं जो कर के लिए प्रमार्य नहीं है, तो लागू है] 0 0 15 14 में शामिल गुप्त दानों पर, धारा (1158BC के तहत (30% की दर से कर लगाया जाएगा (अनुसूची (∨C का (Diii)) 0 0 16 अधिकतम सीमांत दरों पर प्रमारित आय 0 0 1 कुल आय पर देय कर शेर शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की दर से (11-12 के (14-15-16)) 0 0	08	आय के शीर्ष	(i) गृह संपत्ति से आय	0	0
(iv) अन्य स्रोतों से आय (iv) क्ल (8i + 8ii + 8iii + 8iiv) 0 0 09 सकल आय ([7+8v-5-6]+4 0 0 10 (8 के विरुद्ध समायोजित की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ 0 0 11 सकल कुल आय ((9-10) 0 0 12 (11 में शामिल और विशेष वरों पर प्रभार्य आय (अनुसूची (SI के र्त्तंभ ((i) का योग) 13 वर उद्देश्य के लिए शुद्ध कृष्ठि आय 0 0 14 कुल आय ((11-12+13) [यदि ((11-12) अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो लागू है] 15 ये प्रभार्य नहीं है, तो लागू है] 16 अधिकतम सीमांत वरों पर प्रभारित आय 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			(ii) कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ	0	0
(v) कुल (8i + 8ii + 8iii + 8iiv) 0			(iii) पूँजीगत लाभ	0	0
सकल आय ([7+8v-5-6]+4 0 0 0			(iv) अन्य स्रोतों से आय	0	0
10 (8 के विरुद्ध समायोजित की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ 0 0 11 सकल कुल आय ((9-10) 0 0 12 (11 में शामिल और विशेष दरों पर प्रमार्य आय (अनुसूची (SI के स्तंम ((i) का योग)) 0 0 13 दर उद्देश्य के लिए शुद्ध कृषि आय 0 0 14 कृल आय ((11-12+13) [यदि ((11-12) अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रमार्य नहीं है, तो लागू है] 0 0 15 14 में शामिल गुप्त दानों पर, धारा (115BBC के तहत (30% की दर से कर लगाया जाएगा (अनुसूची (VC का (Diii))) 0 0 16 अधिकतम सीमांत दरों पर प्रमारित आय 0 0 4 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की दर से (a) [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0			(v) कुल (8i + 8ii + 8iii + 8iv)	0	0
11 सकल कुल आय ((9-10) 0 0 12 (11 में शामिल और विशेष दरों पर प्रभार्य आय (अनुसूची (SI के रूतंम ((i) का योग) 0 0 13 दर उद्देश्य के लिए शुद्ध कृषि आय 0 0 14 कुल आय ((11-12+13) [यदि ((11-12) अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो लागू है] 15 यी पी शामिल गुप्त दानों पर, धारा (115BBC के तहत (30% की दर से कर लगाया जाएगा (अनुसूची (VC का (Diii)) 0 0 16 अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभारित आय 0 0 0 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की दर से (a) B-TI के (14-15-16)] 1 पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0	09		सकल आय ([7+8v-5-6] +4	0	0
12 (11 में शामिल और विशेष दरों पर प्रभार्य आय (अनुसूची (SI के स्तंम ((i) का योग) 0 0 0 13 0 14 0 14 14 14 15 16) 14 15 16) 17 पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10		(8 के विरुद्ध समायोजित की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ	0	0
रतंभ ((i) का योग) 13 वर उद्देश्य के लिए शुद्ध कृषि आय 0 0 14 कुल आय ((11-12+13) [यदि ((11-12) अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो लागू है] 15 14 में शामिल गुप्त दानों पर, धारा (115BBC के तहत (30% की दर से कर लगाया जाएगा (अनुसूची (VC का (Diii)) 16 अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभारित आय 0 0 17 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की दर से (a) [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 18 कुल आय पर देय कर (a) [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2	11		सकल कुल आय ((9-10)	0	0
14 कुल आय ((11-12+13) [यदि ((11-12) अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो लागू है] 0 0 15 14 में शामिल गुप्त दानों पर, धारा (115BBC के तहत (30% की दर से कर लगाया जाएगा (अनुसूची (vC का (Diii))) 0 0 16 अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभारित आय 0 0 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की दर से (a) [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0 1 कुल आय पर देय कर (a) [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0	12			0	0
14 कर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो लागू है] 15 14 में शामिल गुप्त दानों पर, धारा (115BBC के तहत (30% की दर से कर लगाया जाएगा (अनुसूची (VC का (Diii)) 16 अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभारित आय 0 0 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की दर से (a) [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0	13		दर उद्देश्य के लिए शुद्ध कृषि आय	0	0
कर लगाया जाएँगा (अनुसूची (VC का (Diii)) 16 अधिकतम सीमांत वरों पर प्रभारित आय 0 0 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की वर से 1 कुल आय पर देय कर (a) [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य वरों पर कर, भाग B2 0 0	14			0	0
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की दर से 1 कुल आय पर देय कर [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0	15			0	0
1 कुल आय पर देय कर [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0	16		अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभारित आय	0	0
1 कुल आय पर देय कर [भाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर, भाग B2 0 0			स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर Part B-TTI पर @ 4% की दर से		
(b) विशेष दरों पर कर (अनुसची-sI के (ii) का कल) 0 0	1	कुल आय पर देय कर	िभाग B1 B-TI के (15-16-17)] पर सामान्य दरों पर कर. भाग B2	0	0
1, 20 1, 30			(b) विशेष दरों पर कर (अनुसूची-s) के (ii) का कुल)	0	0



नाम ः ह्युमन वॅलफेअर चॅरिटेबल त्रस्ट

स्थायी खाता संख्या : AABTH6166P | निर्धारण वर्ष : 2022-23 | पावती सं. : 503010660170922 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2223/A7/325181790

	0	0.10% 0.0	राशि (
क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
		धारा 115BBC के तहत अज्ञात दान पर @30% की दर से कर, (c) भाग B1 B-TI के 16 पर, भाग B2 B-TI के 15 पर	0	C
		भाग B1 B-TI के 17 पर अधिकतम सीमांत दर पर कर, भाग B2 (d) B-TI के 16 पर अधिकतम सीमांत दर पर कर	0	C
		कृषि आय पर छूट [तभी लागू यदि (11-12) उस अधिकतम राशि (e) जो कर प्रभार्य नहीं है, से अधिक है]	0	C
		(f) कुल आय पर देय कर (1a+ 1b+1c+ 1d-1e)	0	C
2		अधिभार		
		(i) अनुसूची -SI के 13 पर 25%	0	C
		(ii) [1f- (अनुसूची -SI के (13)] पर	0	d
		(iii) कुल (i + ii)	0	d
3		स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (1f + 2iii) पर @ 4% की दर से	0	O
4		सकल कर देयता (1f + 2iii + 3)	0	d
5	कर राहत	(a) धारा 90/90A	0	C
		(b) धारा 91	0	C
		(c) কুল (5a+5b)	0	C
5	आयकर देयता	कुल कर देयता (4-5c)	0	(
7	ब्याज और देय शुल्क	(a) धारा 234A के तहत ब्याज	0	(
		(b) धारा 234B के तहत ब्याज	0	(
		(c) धारा 234C के तहत ब्याज	0	(
		(d) धारा 234F के तहत शुल्क	0	(
		कुल ब्याज और शुल्क (7a+7b+7c+7d)	0	
3		कुल देयता (6 + 7e)	0	
)	पूर्व संदत्त कर	(a) अग्रिम कर	0	(
		(b) TDS	0	
		(c) TCS	0	(
		(d) स्व-मूल्यांकन कर	0	(
		(e) भुगतान किया गया कुल कर [9(a)+9(b)+9(c)+9(d)]	0	
0	शेष राशि		0	ı
1		धारा 115TD के तहत अभिवर्धित आय पर कर		
		धारा 143 (1) के तहत सूचना से उत्पन्न प्रतिदाय और मांग (पूर्णांकन और प्रतिशीर्ष समायोजन के बाद)		
		शीर्ष	प्रतिदाय राशि	देय मांग
		आयकर	0	(
		अभिवर्धित आय पर कर	0	(
		प्रतिशीर्ष समायोजन के बाद शेष प्रतिदाय/मांग	0	1



: HUMAN WELFARE CHARITABLE TRUST Name

Address : 401 MEGHDOOT CO-OP, HSG LTD., EVERSHINE NAGAR, LINKING ROAD MALAD(W), MUMBAI Maharashtra 400064 INDIA

Ph: 91-9820737841

नामः ह्युमन वॅलफेअर चॅरिटेबल त्रस्ट पताः 401 मेघदूत को-ओप. हाउझींग लिमिटेड., एवरशाईन नागर,लीनीकंग

रोड मलेड(डबलयू), मुंबई महाराष्ट्र 400064 इंडिया

फ़ोन: 91-9820737841

: AABTH6166P AY : 2022-23 Ack. No. : 503010660170922 DIN : CPC/2223/A7/325181790

Your Return for A.Y. 2022-23 has been processed. There is no payment due.

ITR Form Type Date of Filing Order Date Due Date ITR7 Original 17/09/2022 15/02/2023 31/10/2022

Extended Due Date Status Sub status Residential status 07/11/2022 AOP/BOI **Public Charitable Trust** Resident

Return Details

Registration/Approval details Object of General Public utility as per section 2(15) [applicable to 12AA/12AB/10(23c) (iv/v/vi/via)] - %

0%

12A/12AA/12AB,80G(2)(b)

Aggregate annual receipts Forms FORM10B

Page 7 of 12



Name : HUMAN WELFARE CHARITABLE TRUST

PAN : AABTH6166P | AY : 2022-23 | Ack. No. : 503010660170922 | DIN : CPC/2223/A7/325181790

SI.No.	Particulars	Reporting Heads	Amour As provided by Taxpayer	nt in ₹ As Computed u/s 143(1)
01	Exemption	Exemption claimed u/s	11	11
02	Income Details	Total Income	1,96,217	1,96,217
03	Tax Details	Tax Liability after relief	0	0
04	Interest and Fee Payable	Total Interest And Fee (234A, 234B, 234C & 234F)	0	0
05	Pre-paid Taxes	Total Taxes Paid (Advance Tax, TDS, TCS, Self Assessment	Tax) 0	0
06	Balance		0	0
07	Net Amount Payable / Refund	able	0	0
08	Accreted income	Accreted income as per section 115TD	0	0
09	Tax payable u/s 115TD & 115TE after giving credit to additional income tax paid	Net tax payable on Accreted income u/s 115TD and 115TE	0	0



N SAYIRAJ, I.R.S

Deputy Director of Income Tax,

CPC, Bengaluru



Name : HUMAN WELFARE CHARITABLE TRUST

SI.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in As provided by Taxpayer	
lf registere	d under section 12A/12AA/1	2AB or approved under section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via), fi ll out items 1 to 7	
01	Income details	Voluntary contributions other than corpus [Sr.no. Aiie+Bii-D3 of Schedule VC]	9,99,057	9,99,057
02		Voluntary contribution forming part of corpus [(A + B) of schedule Part B-TI]	0	0
		(a) Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) [Sr.no (Aia +Bia) of Schedule VC]	0	0
		(b) Corpus other than above [Aib +Bib of Schedule VC]	0	0
)3		Amount of corpus donation not eligible for exemption	0	O
)4		Amount of corpus donation invested in 11(5) modes and eligible for exemption (2-3) of Part B-TI)	0	O
)5		Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv),10(23C)(v),10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 and 2 above (Sr.no. 10 of Schedule AI)	172	172
16	Exemption u/s 11/10(23C)(iv)/10(23C)(v) /10(23C)(vi)/ 10(23C)(via)	Application of income for charitable or religious purposes or for the stated of	objects of the trust/institut	ion
		Amount applied during the previous year-Revenue Account [Excluding application from borrowed fund, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc, i.e. not from the income of prev. year] [Sr.no. I from Schedule ER]	6,53,128	6,53,128
		Amount applied during the previous year-Capital Account [Excluding application from Borrowed Funds, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc., i.e. not from income of the prev. year] [Sr.no. E of Schedule EC]	0	(
		(iii) Repayment of loan during the previous year [Sr.no. 4 of table A2 of Schedule J]	0	(
		Amount applied during the previous year-invested or deposited back into specified mode of Corpus fund (disallowed earlier on application of fund for object of trust/institution) invested or deposited back, into one (iiia)or more of the forms or modes specified in section 11(5) maintained specifically for such corpus, from the income of that year and to the extent of such investment or deposit [Sr.no. 4 of table A1 of Schedule J	0	(
		(iv) Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1)	0	ı
		(a) If (iv) above applicable, whether option in Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer		
		(b) If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)		
		Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution to the extent it does not exceed 15 per cent of income derived from property (v) held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of third proviso to section 10(23C) [restricted to the maximum of 15% of (+5) above]	1,49,884	1,49,884
		Amount in addition to amount referred to in (iv) above, accumulated or (vi) set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are fulfilled	d 0	(
		(vii) Amount eligible for exemption under section 11(1)(c)	0	(
		(a) Approval number given by the Board		
		(b) Date of approval by board		
		(viii)Total [6i+6ii+6iii+6iiia+6iv+6v+6vi+6vii]	8,03,012	8,03,012
7	Additions	(i) Income chargeable under section 11(1B)	0	C
		(ii) Income chargeable under section 11(3)	0	C
		(iii) Income in respect of which exemption under section 11 is not available		



Name : HUMAN WELFARE CHARITABLE TRUST

SI.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in As provided by Taxpayer	n ₹ As Computed u/s 143(1)
		(b) Disallowable u/s 13(1)(c) or 13(1)(d) (including Part E of Schedule 3	J) 0	0
		(iv) Income chargeable under section 12(2)	0	0
		(v) Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s 40(a)(ia)	0	0
		(vi) Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s 40A(3)/(3A)	0	0
		(vii Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or a) (c) or (d) of Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)	0	0
		(vii lncome as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) or (d) of Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)	0	0
		(viii Total [i+ii+iiia+iiib+iv+v+vi+viia+viib]	0	0
08		Income chargeable u/s 11(4)	0	0
09		Gross income after Exemption u/s 11/10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via) [1+5-6viii+3+7viii+8]	1,96,217	1,96,217
10	Heads of Income	Income not forming part of item no. 9 above		
		(i) Income from house property [item no 4 of Schedule HP]	0	0
		(ii) Profits and gains of business or profession [As per item no. D49 of schedule BP]	0	0
		(iii) Capital gains	0	0
		(iv) Income from other sources	0	0
		(v) Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv)	0	0
11		Gross Income (9+10)	1,96,217	1,96,217
12		Losses of current year to be set off against 10v	0	0
13		Total Income (11-12)	1,96,217	1,96,217
14		Income which is included in 13 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)	0	0
15		Aggregate Income (13-14) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	0	1,96,217
16		Anonymous donations, included in 15, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)	0	0
17		Income chargeable at maximum marginal rates	0	0
Part B2 - If 10(23C)(iiia	claiming exemption under ab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)	section 13A/13B and under sections 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23AAA), 10(23 (iiiad), 10(23C)(iiiae), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)	B), 10(23EC), 10(23ED), 1	0(23EE), 10(29A),
01	Exemptions	Amount eligible for exemption under section 10(21)/ 10(22B)/ 10(23A)/ 10(23B)/10(23AAA)/ 10(23EC)/ 10(23ED)/ 10(23EE)/ 10(29A)	0	0
02		Amount eligible for exemption under section 10(23C)(iiiab)/ 10(23C)(iiiac)/ 10(23C)(iiiad)/ 10(23C)(iiiae)/ 10(23D)/ 10(23DA)/ 10(23FB)/ 10(24)/ 10(46)/ 10(47)	0	0
03		Amount eligible for exemption under any other clause of section 10 ((other than those at 1 and 2)		
04		Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21) [Total of Col 13 of Schedule I])	0	0
05		Income claimed as exempt under section 13A in case of a Political Party	0	0

SI.No. Particulars Reporting Heads



Amount in ₹

Name : HUMAN WELFARE CHARITABLE TRUST

SI.No.	Particulars	Reporting Heads	As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(
07		Voluntary Contribution received during the year	0	
08	Heads of Income	(i) Income from house property	0	
		(ii) Profits and gains of business or profession	0	
		(iii) Capital gains	0	
		(iv) Income from other sources	0	
		(v) Total (8i + 8ii + 8iii + 8iv)	0	
09		Gross income [7+8v-5-6] +4	0	
10		Losses of current year to be set off against 8	0	
11		Gross Total Income (9-10)	0	
12		Income which is included in 11 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)	0	
13		Net Agricultural income for rate purpose	0	
14		Aggregate Income (11-12+13) [applicable if (11-12) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	0	
15		Anonymous donations, included in 14, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)	0	
16		Income chargeable at maximum marginal rates	0	
		Part B-TTI Computation of tax liability on total income		
l	Tax Payable On Total Income	(a) Tax at normal rates on (15-16-17) of Part B1 of Part B-TI] OR (14-15-16) of Part B2 of Part B-TI	0	
		(b) Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	0	
		(c) Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on sr.no. 16 of Part BI of Part B-TI OR sr.no. 15 of Part B2 of Part B-TI	0	
		(d) Tax at maximum marginal rate on Sr.no. 17 of Part B1 of Part B-TI OR Sr.no. 16 of Part B2 of Part B-TI	0	
		(e) Rebate on agricultural income [In Part B2, applicable if (11-12) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	0	
		(f) Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d- 1e)	0	
2		Surcharge		
		(i) 25% of 13 of Schedule SI	0	
		(ii) On [1f - (13 of Schedule SI)]	0	
		(iii) Total (i + ii)	0	
3		Health and Education cess @ 4% on (1f+ 2iii)	0	
ļ		Gross tax liability (1f+ 2iii + 3)	0	
5	Tax Relief	(a) Section 90/90A (2 of Schedule TR)	0	
		(b) Section 91 (3 of Schedule TR)	0	
		(c) Total (5a + 5b)	0	
5	Income Tax Liability	Net tax liability (4 - 5c)	0	
7	Interest And Fee Payable	(a) Interest u/s 234A	0	
		(b) Interest u/s 234B	0	
		(c) Interest u/s 234C	0	
		(d) Fee u/s 234F	0	
		(e) Total Interest and Fee Payable (7a+ 7b+ 7c+ 7d)	0	



Name : HUMAN WELFARE CHARITABLE TRUST

SI.No.	Particulars	Reporting Heads		Amount in As provided by Taxpayer	-
8		Aggregate Liability (6 + 7e)		0	0
9	Taxes Paid	(a) Advance Tax		0	0
		(b) TDS		0	0
		(c) TCS		0	0
		(d) Self-Assessment Tax		0	0
		(e) Total Taxes Paid [9(a)+9(b)-	+9(c)+9(d)]	0	0
10	Balance			0	0
11		Tax on Accreted income under search Aggregation of refund & demand (after rounding off and cross here)		3(1)	
		Heads		Refund Amount	Demand Payable
		Income Tax		0	0
		Tax on Accreted Income		0	0
		Balance Refund/Demand After C	Cross Head Adjustment	0	0